## भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-1, खण्ड-1) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग विदेश व्यापार महानिदेशालय उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

सार्वजनिक सूचना सं. 11 /2009-2014 (आर ई 2010) दिनांक: 11 अक्तूबर, 2010

विषयः निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत पंजीकरण का अतिरिक्त पत्तन।

विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

'पंजीकरण के पत्तन' से संबंधित पैरा 4.19 में समुद्री पत्तनों/आईसीडी, जैसा भी मामला हो, के अंत में निम्नलिखित पत्तनों को जोड़ा जाएगाः

समुद्री पत्तनः- एन्नोर (तमिलनाडु)।

<u>आईसीडीः-</u> इरूगर गांव (तमिलनाडु), थूडियालूर (तमिलनाडु), चेट्टीपालयम (तमिलनाडु) और वीरापांडी (तमिलनाडु)।

> (अनुप के. पुजारी) महानिदेशक, विदेश व्यापार dgft@nic.in

(फा0सं0.01/94/180/एए-पोर्ट ऑफ रजि./एएम-11/पीसी-4 से जारी)